

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/ग्राविअ/परिपत्र/2018/4178

जयपुर दिनांक :- 05.10.2018

—: परिपत्र :-


इस विभाग द्वारा तत्संबंधित निर्गत समस्त आदेशों के अधिकमण में निर्देशित किया जाता है कि ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में उक्त पद का अतिरिक्त प्रभार समीपवर्ती ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को ही दिया जावे एवं किसी अन्य स्थिति में अन्य अधिकारी/कर्मचारी को नहीं दिया जावे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल लाई जावेगी।


(कुंजी शर्म मीन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
8. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
9. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।


(दिनेश कुमार जांगिड.)
संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त